23/6/25

पत्रा. पेश हुई वकील वादीगण [illegible]
को जारी [illegible]
[illegible]
शामिल पत्रा. की

पत्रा. [illegible]
[illegible]

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

दिलसुख वगै0 बनाम रामस्वरूप वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 109/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित हाल आराजी खसरा नं0 1214 रकबा 0.06 हैक्टे, 1215 रकबा 0.20 हैक्टे., 1216 रकबा 0.20 हैक्टे., 1220 रकबा 0.48 हैक्टे ग्राम लुहासा तहसील नदबई पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ब दसखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23\06\25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 23/6/25

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. दिलसुख पि0 चरनी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई
2. दयाचंद पि0 चरनी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई
3. रघुपत पि0 चरनी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई

वादीगण

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र रामोली जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई।
2 महाराज सिंह पुत्र रामोली जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई।
3 राजस्थान सरकारा जरिये तहसीलदार नदबई।
4 सब रजिस्ट्रार नदबई।
5 एस0बी0बी0जे बैंक शाखा नदबई।

– प्रतिवादीगण

उप जिला कलक्टर
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 109 / 2017

किस्म दावा 88,89,18 आर.टी.ए.

सीसीएमएस नंबर 2017 / 00000207

निर्णय दिनांक 23.06.25

1. दिलसुख पि0 चरनी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई
2. दयाचंद पि0 चरनी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई
3. रघुपत पि0 चरनी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई

वादीगण

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र रामोली जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई।
2 महाराज सिंह पुत्र रामोली जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
4 सब रजिस्ट्रार नदबई।
5 एस0बी0बी0जे बैंक शाखा नदबई।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित: श्री फूल सिंह एड0(वादी)

श्री अशोक कुमार एडवो. (प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. **यह है कि वादपत्र में सजरा संलग्न है।**
2. यह है कि विवादित हाल आराजी खसरा नं0 1214 रकवा 0.06 हैक्टे, 1215 रकवा 0.20 हैक्टे., 1216 रकवा 0.20 हैक्टे., 1220 रकवा 0.48 हैक्टे, जिसके गत खसरा नं0 सवंत 2028 कमशः 688 / 5 विस्वा, 689 मि. / 1बि. 11 विस्वा, 689 मि., 691 / 1बी. 18 विस्वा है। एवं जिसके गत खसरा नं0 गत संवत 1996 के अनुसार कमशः 460 मि0 / 7 विस्वा, 460 मि. / 2 बी. 8 विस्वा एवं 460 मि. / 2 बी. 19 विस्वा है। इस प्रकार उक्त आराजी वर्णित साबिक खसरा नं0 460 कुल रकवा 5 बी. 14 विस्वा वाके ग्राम लुहासा के वादीगण के बाबा मनफूल व प्रतिवादीगण के पिता रामोली वा... से पूर्व ही गैर मोरूसी काश्तकार दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड थे। जिनक... 190 संलग्न जमाबंदी संवत 2017 से 2020 के मुताबिक ... अजमेर दिनांक 20.02.1960 के खातेदारी ... है तथा वाद की जमांबदी संवत 2021 से 24 तक उक्त आदेश अनु... दोनों पक्षों के उक्त

23/06/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित पूर्वज खातेदार दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड होते चले आ रहे थे लेकिन दौराने भू प्रबंधक कार्यवाही सम्वत 2028 के मुताबिक फर्जकाशी से प्रतिवादीगण के पिता रामोली ने वादीगण व उनके बाबा मनफूल का नाम हटवा दिया क्योंकि वादीगण के पिता चरनी का देहान्त बाबा मनफूल के जीवनकाल में ही हो चुका था तथा वादीगण वक्त सैटिलमेन्ट नाबालिग थे, जबकि भू.प्र. विभाग को पूर्व इन्द्राजात के विपरीत बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश व बयनामा के बिना बदलने का कोई कानूनी अधिकार हांसिल नहीं है। चाहे पक्षकारों के मध्य रजामन्दी ही क्यों न हो , वादीगण आराजी वर्णित वाके ग्राम लुहासा पर पूर्व इन्द्राजात के मुताबिक वादीगण हिस्सा 1/2 वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा शेष हिस्सा 1/2 के इन्द्राजात प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज रहे, तथा वर्तमान सम्पूर्ण इन्द्राजात व हक प्रतिवादीगण कलमजन किये जावे।

3. यह है कि वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ हिस्सा निस्फ अनुसार शुरू से ही काबिज हो विरासतन खातेदार की तरह सम्मलित रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1,2 के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर अब उनके मन में बदनियती आने के कारण वादीगण को अपने निस्फ हिस्से से बेदखल करने तथा रहन, बय मुन्तकिल करने की धमकी दिनांक 20.06.17 को दी है। अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद न हो सकेगी, बदी वजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं कि वे उक्त आराजी वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र से वादीगण को बेदखल न ही करे, रहन बय मुन्तकिल नहीं करें, रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

4. यह है कि आराजी वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र वाके ग्राम लुहासा पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1,2 के मध्य मुताविक हिस्सा कानूनी रूप से प्रथक–2 कुरा निर्णित कराकर बंटवारा किये जावे।

अंत में प्रार्थना की कि वादी विवादित आराजी मद संख्या 2 वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई पर वादीगण को हिस्सा 1/2 पर वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 के नाम वाहिस्सा बराबर दर्ज रहे तथा वर्तमान इन्द्राजात काबिल जन के है।

ब. यह है कि आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके ग्राम लुहासा पर प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें।

स. यह है कि आराजी वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई पर मुताबिक हिस्सा कुरेजात निषेधाज्ञा पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार एड्वो0 उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है--

1. यह है कि आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति है न कि पैतृक। क्योंकि उक्त आराजी प्रतिवादीगण को इंतकाल नं0 190 से श्रीमान कमिश्नर महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश प्राप्त हुई है। न कि विरासत में इस प्रकार मद संख्या 02 अन्य बजूवात स्वीकार नहीं है। सैटिलमेंट में प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई गलत इन्द्राज नहीं हुआ है। बल्कि सक्षम अधिकारी के आदेश से प्रतिवादीगण को आराजी नामान्तरण से प्राप्त हुई है। मद संख्या 02 में वर्णित आराजी मनफूल ने अपनी सहमति से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता रामोली को हस्तान्तरित की है। न कि संवत 2028 के सैटिलमेन्ट के गलत इन्द्राज से ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को उक्त आराजी स्वअर्जित होने के आधार पर करीब 40 साल पूर्व से इन्द्राजात चले आ रहे है। और आज भी प्रतिवादीगण उक्त आराजी को अपने पिता रामोली जिसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से उक्त आराजी का लगभग 40 साल से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण का उक्त आराजी पर कोई निस्फ हिस्सा काबिज काश्त नहीं है। वादीगण उक्त आराजी से पहले से ही रिकॉर्ड व कब्जे के आधार पर बेदखल है तो उनको दिनांक 20.06.2017 को बेदखल करने की धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि गलत तथ्यों के आधार पर वादीगण का दावा डिक्री होता है। तो प्रतिवादीगण को अजीम क्षति होगी। प्रतिवादीगण के हक में न्यारानूर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज व कब्जे काश्त में है।
3. यह है कि इस संबध में वादीगण ने एक दावा न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया जिसमें वादीगण को सफलता की कोई आशा नहीं थी। इसलिए उक्त दावा को खारिज करा लिया क्योंकि वही दस्तावेज व मौके की स्थिति एव वही पक्षकार पूर्व के दावा में थे। और वही स्थिति एवं वही दस्तावेज इस दावे में अंकित है। इसी आराजी पर पूर्व में दावा दिलसुख बनाम रामस्वरूप वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को दोनों पक्षों की सुनकर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया गया एवं वादीगण न उक्त प्रार्थना पत्र की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां पेश की , उसमें में भी दोनों पक्षों को सुनकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने खारिज किया। ऐसी स्थिति में दावा खारिज योग्य है। जब वादीगण को उक्त विवाद का बिन्दु 20.06.2017 को ही पता चल गया तो एक माह बाद म्याद अवधि निकलने के बाद वादीगण ने इसी आराजी इन्हीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारों के मध्य 28.08.2017 को पुनः दावा पेश किया जो म्याद बाहर है। ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं है। एवं काबिल खारिजी के है।

4. यह है कि उक्त दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है क्योंकि वादीगण को इस बात का पता है कि वादपत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादीगण को जरिये नामान्तरण संख्या 190 के आधार पर सम्पत्ति अंतरित हुई है तो वादीगण को उक्त नामान्तरण की सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी न कि उक्त दावा डिक्लेरेशन या घोषणात्मक दावा क्षेत्राधिकार के बाहर है। उक्त सम्पत्ति यदि ग्राम पंचायत के नामान्तरण द्वारा प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई होती तो श्रीमानी को सुनने का अधिकारी है। लेकिन चुंकि उक्त आराजी कमिश्नर महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश से प्रतिवादीगण के पिता रामोली को नामान्तरण संख्या 190 के आधार पर प्राप्त हुई है, की अपील सक्षम अधिकारी के यहां पेश करनी चाहिए थी। जो नहीं की गई। इसलिए उक्त दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है। अगर दावा में पूर्व में काई टेक्निकल कमी थी तो संशोधन का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 के द्वारा दावा संशोधित कराया जा सकता था क्योंकि इस दावा में वहीं दस्तावेज वही पक्षकार व वही सम्पत्ति है। इसलिए टेक्निकल कमी इस दावे पर लागू नहीं होती है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी विवादित आराजी पर वादीगण के बाबा मनफूल व प्रतिवादीगण के पिता रामोली वाहिस्सा बरावर के संवत 2012 से पूर्व ही गैर–मौरूसी काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड थे। –जिम्मे वादीगण
2. आया वादी दौराने भूप्रबंधक कार्यवाही संवत 2028 के मुताबिक फर्जकारी से प्रतिवादीगण के पिता रामौली ने वादीगण व उनके बाबा मनफूल का नाम हटवा दिया। –जिम्मे वादीगण
3. आया वादी विवादित आराजी वर्णित वाके ग्राम लुहासा पर पूर्व इन्द्राजात के मुताबिक वादीगण हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष हिस्सा 1/2 के इन्द्राजात प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम वाहिस्सा बरावर दर्ज रहे। वर्तमान सम्पूर्ण इन्द्राजात व हक प्रतिवादीगण कलमजन किया जावे। –जिम्मे वादीगण
4. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी है न कि पैतृक सम्पत्ति , जो प्रतिवादीगण को सक्षम अधिकारी के आदेश से प्राप्त हुई है। –जिम्मे प्रतिवादीगण
5. आया वादी सेटलमेन्ट में विवादित आराजी का कोई गलत इन्द्राज नहीं हुआ है। बल्कि सक्षम अधिकारी के आदेश से नामान्तरण से मिली है। – जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

6. आया वर्णित आराजी मनफूल ने अपनी सहमति से प्रतिवादीगण के पिता रामोली को हस्तान्तरण की है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण

7. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता रामोली को वादीगण के बाबा मनफूल व वादी संख्या 01 दिलसुख की इच्छा व सहमति से सम्पूर्ण आराजीयात रामोली के नाम दर्ज की गई है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

8. दीगर दादरसी।

वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में वादी की ओर से नकल हाल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श—1, जमाबंदी संवत 2021 से 2024 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श—2, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2021 से 2024 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श—3, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2025 से 2028 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श—4, खसरा गिरदावरी संवत 2046 से 2049 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श—5 व नकल नामान्तरण संवत 2017 से 2020 प्रदर्श—6, नकल प्रमाणित प्रतिलिप दावा दिलसुख बनाम रामस्वरूप मु० सं० 84/2017 प्रदर्श—7, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके लुहासा प्रदर्श 8, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके लुहासा प्रदेर्श 9, नकल जमाबंदी संवत 2028 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श 10 व 11 पेश किये गये एवं प्रतिवादी की ओर से अपने जबाव वादपत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि मि० संख्या 2676 दिनांक 20.06.1973 न्यायालय श्रीमान् सहायक भू प्रबंध अधिकारी, नदबई (प्रदर्श—1), प्रमाणित प्रतिलिपि मुकदमा रामोली बनाम सुगना श्रीमान सहायक भू प्रबंध अधिकारी, नदबई (प्रदर्श—2), प्रमाणित प्रतिलिपि बयान गवाह पत्रावली संख्या 2676 दिनांक 20.06.73 प्रदर्श—3, नकल बिजली विल प्रदर्श—5, नकल नामान्तरण पंजिका संवत 2017—2020 वाके ग्राम लुहासा पेश किये गये । मौखिक बयान के रूप में वादी की ओर से बिजेन्द्र पुत्र भूरी सिंह पी०ड्ब्ल्यू०—1 एवं रघुपत पुत्र चरन पी०ड्ब्ल्यू—2 पेश किये गये। तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में यथा जमाबंदी संवत 2057 से 2077 वाके लुहासा, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2021, भूप्रबंध विभाग पेश किए गए। एवं प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में शिवाजी पुत्र गोविन्द सिंह डी०ड्ब्ल्यू—1 पेश किये गये ।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, बहस पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है—

1. आया वादी विवादित आराजी [illegible] के बाबा मनफूल व प्रतिवादीगण के पिता रामोली वाहिस्सा ब[illegible] संवत 2012 से पूर्व ही गैर—मौरूसी काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे। उक्त [illegible] की को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

फी
23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया जिससे साबित होता हो कि संवत 2012 से पूर्व विवादित आराजी पर वादीगण के बाबा मनफूल व प्रतिवादीगण के पिता रामोली वाहिस्सा बराबर गैर मौरोसी काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड रहे हों। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादी दौराने भूप्रबंधक कार्यवाही संवत 2028 के मुताबिक फर्जकारी से प्रतिवादीगण के पिता रामौली ने वादीगण व उनके बाबा मनफूल का नाम हटवा दिया। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत श्रीमान सहायक भू प्रबंध अधिकारी, नदबई (प्रदर्श–2) के निर्णय दिनांक 20.06.73 द्वारा ही उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के पिता रामौली के नाम दर्ज हुई तथा वादीगण व उनके बाबा मनफूल के नाम कलमजन किए गए हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वारा फर्जकारी से वादी के बाबा मनफूल का नाम नहीं हटवाया गया बल्कि सहायक भूप्रबंध अधिकारी नदबई के निर्णयानुसार हटाया गया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वादी विवादित आराजी वर्णित वाके ग्राम लुहासा पर पूर्व इन्द्राजात के मुताबिक वादीगण हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष हिस्सा 1/2 के इन्द्राजात प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम वाहिस्सा बराबर दर्ज रहे। वर्तमान सम्पूर्ण इन्द्राजात व हक प्रतिवादीगण कलमजन किया जावे। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। तनकी संख्या 2 के निर्णय से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर सक्षम आदेशानुसार ही प्रतिवादीगण के पूर्वज रामोली के नाम खातेदारी इन्द्राज किए गए हैं। जिस पर वादीगण का 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी है न कि पैतृक सम्पत्ति जो प्रतिवादीगण को सक्षम अधिकारी के आदेश से प्राप्त हुई है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी संख्या 2 के विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण को सहायक भू प्रबंध अधिकारी, नदबई (प्रदर्श–2) के निर्णय दिनांक 20.06.73 द्वारा प्राप्त हुई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

5. आया वादी सेटलमेन्ट में विवादित आराजी [illegible] गलत इन्द्राज नहीं हुआ है। बल्कि सक्षम अ[illegible] [illegible]न्तरण से मिली है। उक्त तनकी को, सिद्ध करने का भार प्रति[illegible] था। तनकी संख्या 2 व 4 का विवेचन [illegible] व्याख्या करता है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

6. आया वर्णित आराजी मनफूल ने अपनी सहमति से प्रतिवादीगण के पिता रामोली को हस्तान्तरण की है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बयान गवाह दिलसुख पुत्र चरनी प्रदर्श डी 3 से यह स्पष्ट है कि मनफूल के वारिस दिलसुख द्वारा दिनांक 20.06.73 को न्यायालय सहायक भूप्रबंध अधिकारी नदबई में बयान पेश किए कि उक्त विवादित आराजी पर तत्समय रामोली का कब्जाकाश्त है तथा उक्त आराजी रामोली के नाम दर्ज कर दी जाए तो उसको कोई उज्र नही होगी। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी संवत 2023 से प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। वादी द्वारा लगभग 40–45 वर्ष पश्चात्, दावा पेश किया गया है चूंकि उक्त दावा वादी दिलसुख द्वारा पेश किया गया है जबकि दिनांक 20.06.73 को न्यायालय सहायक भूप्रबंध अधिकारी नदबई के समक्ष बयान गवाह भी वादी दिलसुख द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में आराजी को खातेदारी दर्ज करने के दिए गए हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

7. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता रामोली को वादीगण के बाबा मनफूल व वादी संख्या 01 दिलसुख की इच्छा व सहमति से सम्पूर्ण आराजीयात रामोली के नाम दर्ज की गई है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी संख्या 6 के विवेचन के आधार पर उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के हक में वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन एवं वादीगण द्वारा प्रदत्त सहमति से प्रतिवादीगण का कब्जा मानते हुए आराजी उनके नाम दर्ज करवाए जाने के कारण वाद वादी काबिल खारिज के है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित हाल आराजी खसरा नं0 1214 रकवा 0.06 हैक्टे, 1215 रकवा 0.20 हैक्टे., 1216 रकवा 0.20 हैक्टे., 1220 रकवा 0.48 हैक्टे ग्राम लुहासा तहसील नदबई पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:13:29 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner